न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 108/2021

ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्खनलाल, जाति अहीर, ग्रा0पो0 शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 15.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 108/2021 पर दिनांक 29.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1787–88 दिनांक 30.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0/21/321 दिनांक 06.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्खनलाल, निवासी शिमला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत कर सूचना चाही थी जो श्रीमान्जी के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/137 दिनांक 27.04.2021 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस कार्यालय को अन्तरित किया गया जो कि इस कार्यालय मे दिनांक 07.05.2021 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/21/254–55 दिनांक 04.06.2021 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवादी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (तहसीलदार) खेतडी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/21/321 दिनांक 06.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्खनलाल, निवासी शिमला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र जिला कलक्टर झुंझुनूं के समक्ष प्रस्तुत कर सूचना चाही थी जो पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/137 दिनांक 27.04.2021 द्वारा प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत उनके कार्यालय को अन्तरित किया गया जो कि उनके कार्यालय मे दिनांक 07.05.2021 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/21/254–55 दिनांक 04.06.2021 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवादी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं